न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी –डॉ0सूरज सिंह नेगी

तारीख रजू 04.10.2021

प्रार्थना पत्र संख्यां 109/21

1. सरकार जरिये तहसीलदार (लैण्ड होल्डर) मलारना डूंगर

.........प्रार्थी

बनाम

1. सज्जो पत्नि सरफू जाति नाई निवासी ग्राम बाढ बिलोली तहसील मलारनाडूंगर
2. सरफू पुत्र उम्मेद जाति नाई निवासी ग्राम बाढ बिलोली तहसील मलारनाडूंगर

.......अप्रार्थीगण

दिनांक 11/11/22

निर्णय

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14 (4) तहसीलदार (भू.अ.) मलारनाडूंगर द्वारा आवंटन सलाहकार समिति द्वारा पारित आवंटन आदेश दिनांक 06.06.2002 के विरूद्व प्रस्तुत किया गया जिसके द्वारा अप्रार्थीगण सज्जो पत्नि सरफू जाति नाई निवासी ग्राम बाढ बिलोली तहसील मलारनाडूंगर, सरफू पुत्र उम्मेद जाति नाई निवासी ग्राम बाढ बिलोली तहसील मलारनाडूंगर को आराजी खसरा नम्बर 760/1917 रकबा 0.25 है0 वाके ग्राम बाढ बिलोली में आदेश दिनांक 06/06/2002 द्वारा आवंटन किया गया था। अप्रार्थी को आवंटितशुदा खसरा नम्बर 760/1917 रकबा 0.25 है0 पर भू.अ. निरीक्षक वृत व पटवारी हल्का चकबिलोली की रिपोर्ट के अनुसार आवंटी का मौके पर कब्जा नहीं होने, आवंटित भूमि पड़त तथा नालेदार भूमि होने तथा आवंटन शर्तों की पालना नहीं किये जाने के कारण आवंटन को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये नोटिस की गयी। अप्रार्थी को जारी नोटिस बाद तामिल प्राप्त होने पर अप्रार्थीगण सज्जो पत्नि सरफू जाति नाई निवासी ग्राम बाढ बिलोली तहसील मलारनाडूंगर, सरफू पुत्र उम्मेद जाति नाई निवासी ग्राम बाढ बिलोली तहसील मलारनाडूंगर की ओर से श्री ललित कुमार शर्मा एडवोकेट द्वारा वकालातनामा पेश किया गया। अप्रार्थी को काफी मौके दिये जाने के उपरान्त भी अप्रार्थी ना तो स्वयं और ना ही जरिये वकील पेशी पर उपस्थित हुए। अतः अप्रार्थीगण के न्यायालय में नियत दिनांक को पर्याप्त मौके प्रदान करने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं होने के कारण आदेशिका दिनांक 20/10/2022 के द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। अदालत मातहत से मूल पत्रावली प्राप्त। प्रार्थना पत्र पर पेरोकार सरकार की एकपक्षीय बहस सुनी गयी।

अति. जिला कलक्टर
सवाई माधोपुर

वकील पेरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस में तर्क दिया कि अप्रार्थी को आवंटितशुदा भूमि खसरा नम्बर 760/1917 रकबा 0.25 है0 पर भू.अ.निरीक्षक वृत व पटवारी हल्का चकबिलोली की रिपोर्ट दिनांक 23.07.2021 के अनुसार आवंटी का मौके पर कब्जा नहीं है। पुनःश्च पेरोकार सरकार ने अपनी बहस में तर्क दिया कि खसरा गिरदावरी सम्वत 2073–76 के अनुसार भूमि मौके पर पड़त पडी हुई है जिससे यह साफ जाहिर होता है कि अप्रार्थीगण का आवंटितशुदा भूमि पर कब्जा नहीं है। अतः वकील पेरोकार सरकार द्वारा आवंटन सलाहकार समिति द्वारा पारित आवंटन आदेश दिनांक 06.06.2002 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया।

प्रकरण में पेरोकार राजस्व की एकपक्षीय बहस सुनी गयी एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। तहसीलदार मलारनाडूंगर से प्राप्त प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया जिसके अनुसार अप्रार्थीगण सज्जो पत्नि सरफू जाति नाई निवासी ग्राम बाढ बिलोली तहसील मलारनाडूंगर, सरफू पुत्र उम्मेद जाति नाई निवासी ग्राम बाढ बिलोली तहसील मलारनाडूंगर को आराजी खसरा नम्बर खसरा नम्बर 760/1917 रकबा 0.25 है0 वाके ग्राम बाढ बिलोली आवंटित किया गया था। भू.अ. निरीक्षक वृत व पटवारी हल्का चकबिलोली की रिपोर्ट दिनांक 23.07.2021 के अनुसार अप्रार्थीगण का मौके पर कब्जा काश्त नहीं है व कभी आवंटित शुदा भूमि पर कब्जा नहीं रहा है एवं भूमि मौके पर पड़त पडी हुई है अप्रार्थी द्वारा कब्जे काश्त के सम्बन्ध में एक भी वर्ष की गिरदावरी प्रस्तुत नहीं की गयी है जिससे साबित हो सके कि उक्त आवंटित भूमि पर अप्रार्थी का ही कब्जा काश्त है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं होना पाया जाता है। अतः तहसीलदार मलारनाडूंगर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14(4) स्वीकार योग्य पाया जाता है।

अतः अप्रार्थी द्वारा कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 की धारा 14 में वर्णित आवंटन शर्तों की पालना नहीं करने तथा अप्रार्थीगण का वर्तमान में आवंटित शुदा भूमि खसरा नम्बर 760/1917 रकबा 0.25 है0 वाके ग्राम बाढ बिलोली पर कब्जा नहीं होने के कारण कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 की धारा 14(4) के अन्तर्गत आवंटन आदेश दिनांक 26.05.2000 को निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार खण्डार को आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम बाढ बिलोली के आराजी खसरा नम्बर 760/1917 रकबा 0.25 है0 वाके ग्राम बाढ बिलोली को राजस्व अभिलेख में सिवायचक दर्ज करे।

निर्णय आज दिनांक 11/11/22 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(डॉ0सूरज सिंह नेगी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर